


1630



A 176447

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय

श्री सुशील कुमार कटियार



Photo
आरुण

Adv. 3-6-09

Anil Kumar Soni
Reg. No. 4654/91 Advocate
Ch.-66, Shatabdi Adhivakta Bhawan
IInd Floor Civil Court Compound, Kanpur




Photo
सुशील

Adv. 3-6-09

Anil Kumar Soni
Reg. No. 4654/91 Advocate
Ch.-66, Shatabdi Adhivakta Bhawan
IInd Floor Civil Court Compound, Kanpur


कार्यालय : श्रीमान उपनिबन्धक, जोन-2, कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक : 04-06-2009
2. निष्पादन दिनांक : 03-06-2009
3. प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता: श्री अरुण कुमार, उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय, वयस्क, पुत्र स्व0 राजाराम, निवासी ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व जिला कानपुर नगर।

4. लेखपत्र का प्रकार : विक्रयपत्र

Pandey

Shushil Kumar



A 176448

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2


5. प्रतिफल राशि : 23,00,000/- रुपया
6. बाजारी/सरकारी मूल्य : 23,95,000/- रुपया
7. विक्रेता का नाम व पता : श्री अरुण कुमार, उर्फ अरुण कुमार
पाण्डेय, वयस्क, पुत्र स्व0 राजाराम,
निवासी ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील
व जिला कानपुर नगर।
8. क्रेता का नाम व पता : श्री सुशील कटियार, वयस्क, पुत्र श्री
रागकृष्ण कटियार, निवासी भवन संख्या
112/216, काकादेव, कानपुर नगर।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1. स्थान : ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना
व जिला कानपुर नगर।

Pandey

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A 176449

3

2. खाता खतौनी क्रम संख्या : 00282
3. आराजी नम्बर : संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370
कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का
अविभाजित 1/2 भाग जानिब पूरब
तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित
ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व
परगना व जिला कानपुर नगर।
4. विक्रीत क्षेत्रफल : 0.479 हेक्टेयर
5. प्रयोजन : कृषि
6. सीमा में सड़क : लिंकरोड
7. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि

Danclay

Shushil Kumar
Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

8. सिंचाई का साधन : प्राकृतिक वर्षा व समीप स्थित अन्य का नलकूप

9. आराजी संख्या 370 के विक्रीत 1/2 भाग की चतुर्दिक सीमाएं

उत्तर : कृषि भूमि आराजी संख्या-362

दक्षिण : लिंकरोड

पूरब : कृषि भूमि आराजी संख्या-371, 372, 373, 374, 375

पश्चिम : कृषि भूमि आराजी संख्या-370 का शेष भाग

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1. जिलाधिकारी दर भूमि : रूपया 50,00,000 /- प्रति हेक्टेयर


2. भूमि का मूल्य : रूपया 23,95,000 /-

3. जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प : रूपया 1,67,650 /-

4. अदा किया गया स्टाम्प : रूपया 1,67,700 /-

Handwritten signature

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A 176451

5

विशेष : वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं लायी जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकड़ों में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है। विक्रीत कृषि भूमि सर्किल दर सूची में अर्द्धनगरीय ग्रामों की श्रेणी-‘क’ के ग्रामों के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। विक्रीत कृषि भूमि का अन्तरण कृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई कूप, नलकूप, वृक्ष या निर्माण नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग /अन्तर्राज्यीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि लिंकमार्ग के किनारे स्थित है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

[Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


H 694984

6

पक्षगण अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं हैं। विक्रीत भूमि सीलिंग, गाँव सभा या भूदान से पट्टे पर प्राप्त की हुई नहीं है और सीलिंग से सीमाधिक्य भूमि घोषित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि के 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर की भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता द्वारा उपरोक्त आराजी भूमि में अपने सम्पूर्ण अंश का विक्रय किया जा रहा है। अब उक्त आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश शेष नहीं रह गया है।

[Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694985

7

विक्रयपत्र

यह विक्रयपत्र आज कानपुर नगर में :-


श्री अरुण कुमार, उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय, वयस्क, पुत्र स्व० राजाराम, निवासी ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व जिला कानपुर नगर; जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द "प्रथमपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।



एवम्

..... विक्रेता / प्रथमपक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694986

8

श्री सुशील कटियार, वयस्क, पुत्र श्री रामकृष्ण कटियार, निवासी भवन संख्या 112/216, काकादेव, कानपुर नगर; जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द "द्वितीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।


..... क्रेता/द्वितीयपक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया।

विदित हो कि प्रथमपक्ष संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पूरब तदनुसार

(Signature)

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694127


9

क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व
जिला कानपुर नगर का स्वामी मालिक, काबिज व दखील हैं तथा उसका नाम
भी राजस्व अभिलेखों में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है और उसे उक्त
वर्णित कृषि भूमि के बावत समस्त प्रकार के हक मालिकाना हासिल हैं। उक्त
कृषि भूमि प्रथमपक्ष को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष के कब्जे व स्वामित्व वाली उक्त
वर्णित कृषि भूमि में प्रथमपक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सह-स्वामी या
हिस्सेदार नहीं है और जो कि आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है,

[Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


H 694128

10

कहीं किसी प्रकार बन्धक व विक्रय व दान व मुस्तगरक बजमानत व इक्वीटेबिल मार्टगेज आदि नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग में विचाराधीन नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि किसी डिक्री या इजराय में कुर्क व बरसरे नीलाम नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय आदि करने से प्रथमपक्ष को आज दिन तक किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा रोका या मना नहीं किया गया है और उक्त वर्णित कृषि भूमि आज दिन तक किसी सरकारी संस्था द्वारा अर्जित या अधिग्रहीत आदि नहीं की गयी है और उसमें कोई समस्या सेल्स टैक्स या

Ranchy

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694134


11

कम टैक्स या बैंक लोन आदि की भी नहीं है तथा प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। यदि उपरोक्त लिखित कथन के विपरीत कोई तथ्य पाये जावें या कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जावे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

यह भी विदित हो कि वर्तमान समय में प्रथमपक्ष को अपनी निजी व व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की त्वरित आवश्यकता है, और बिना विक्रय किये हुए आराजी कृषि भूमि उपरोक्त, प्रथमपक्ष को धन की प्राप्ति के अन्य कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए प्रथमपक्ष ने अपने कब्जे

Ramdas

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 694888


12

व स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि उपरोक्त को विक्रय करना निश्चय किया और इस बावत प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के विक्रय की वार्ता जनमानस में प्रारम्भ की और उसके हर प्रकार से पाक व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा दिलाया, जिस पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को मुबलिय 23,00,000/- रुपये में क्रय करना स्वीकार किया है। द्वितीयपक्ष द्वारा प्रस्तावित विक्रयमूल्य उक्त वर्णित कृषि भूमि को देखते हुए बाजारी मूल्य के अनुरूप होने के कारण प्रथमपक्ष को सहर्ष स्वीकार है।

अतः प्रथमपक्ष ने अपने स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि,

[Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


H 694889

13

संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पूरब तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर (जिसका सम्पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमाएं इस विलेख के प्रारम्भ में वर्णित हैं तथा जिसे आगे इस विलेख में शब्द "विक्रीत कृषि भूमि" कहा गया है) जिसको इस विलेख के साथ संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, को समस्त स्वामित्वाधिकार व सुखाधिकार सहित मुबलिग 23,00,000/- रुपये में द्वितीयपक्ष के हक में कतई तौर पर विक्रय कर दिया और द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य इस विलेख के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार स्वामित्वपूर्ण

[Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 968497


14

वास्तविक कब्जा व दखल द्वितीयपक्ष का करा दिया है। आज की तारीख से द्वितीयपक्ष विक्रीत कृषि भूमि की एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर, काबिज व दखील हो गया है तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करे और आवश्यकतानुसार कृषि उपज, बन्धक व विक्रय आदि से लाभान्वित हो। आज से प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्न का विक्रीत कृषि भूमि के सम्पूर्ण भाग में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अधिकार या कब्जा नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत कृषि भूमि के हर प्रकार से साफ व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा द्वितीयपक्ष को दिला दिया है

Ranchy

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 968498

15

और इसी विश्वास पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि क्रय की है। यदि प्रथमपक्ष के स्वामित्व में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि पाये जावे या अन्य किसी कारणवश द्वितीयपक्ष के स्वामित्व, कब्जा, दखल व अधिकार से विक्रीत कृषि भूमि का सम्पूर्ण या आंशिक भाग निकल जाये या उसको आज के पूर्व के किसी ऋण आदि की अदायगी करनी पड़े या स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद लड़ना पड़े या इस विक्रयपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाये जाये तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि अपना सम्पूर्ण या आंशिक विक्रयमूल्य हर्जा-खर्चा, ब्याज व वह धन जो द्वितीयपक्ष ने उस पर खर्च किया हो, इत्यादि

[Handwritten Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 803200

16

सहित, जैसी भी स्थिति हो, प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा अथवा जैसे चाहे, वसूल कर लेवे। इसमें प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न तो अभी है और न ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा।

यह भी विदित हो कि द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि उपरोक्त पर अंकित प्रथमपक्ष का नाम पृथक कराकर, उसके स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम, इस विक्रयपत्र के आधार पर, तहसील के

Ramesh

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 933563

17

राजस्व अभिलेखों व अन्य आवश्यक अभिलेखों में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित करवा लेवें। प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति इस विक्रयपत्र द्वारा मान्य होगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रथमपक्ष प्रथक से सहमति व स्वीकृति शपथपत्र आदि, हस्ताक्षरित कर दे देंगा। इस विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है। यह विक्रयपत्र प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों व प्रतिनिधियों व स्थानापन्न पर पूर्ण रूप से मान्य/प्रभावी होगा।

[Handwritten Signature]

Shushil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 933564

18

विवरण सम्पत्ति

संक्रमणीय भूमिधरी आराजी संख्या-370 कुल क्षेत्रफल 0.958 हेक्टेयर का अविभाजित 1/2 भाग जानिब पूरब तदनुसार क्षेत्रफल 0.479 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्राम सिंहपुर कछार, तहसील व परगना व जिला कानपुर नगर जिसकी चतुर्दिक सीमायें निम्नलिखित हैं :-

उत्तर : कृषि भूमि आराजी संख्या-362

दक्षिण : लिंकरोड

पूरब : कृषि भूमि आराजी संख्या-371, 372, 373, 374, 375

पश्चिम : कृषि भूमि आराजी संख्या-370 का शेष भाग

[Signature]

Shushil Kumar

क्रमांक
नाम
पिता/पत्नी
शाभिल
पता
दिनांक

मनीष कुमार/वर्मा
सिविल कोर्ट, कानपुर-नगर
लाइसेन्स नं० 63/07

विक्रय पत्र

2,300,000.00/ 2,395,000.00 5,000.00 50 5,050.00 2,500

प्रतिफल मालियत
श्री/श्रीमती अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय
पुत्र/पत्नी श्री स्व०राजाराम
पेशा वकालत
निवासी स्थायी सिहपुर कछार कानपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4/6/2009 समय 2:01PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग



मानवेन्द्र शास्त्री
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
4/6/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय
पुत्र/पत्नी श्री स्व०राजाराम
पेशा वकालत
निवासी सिहपुर कछार कानपुर

क्रेता

श्री/श्रीमती सुशील कटियार
पुत्र/पत्नी श्री रामकृष्ण कटियार
पेशा व्यापार
निवासी 112/216 काकादेव कानपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री हाकिम सिंह
पुत्र श्री स्व०प्रयाग सिंह
पेशा व्यापार
निवासी सिहपुर कछार कानपुर

व श्री रमाकान्त शर्मा
पुत्र श्री राजकुमार शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी गंगपुर चकबदा विदूर रोड कल्यानपुर कानपुर
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मानवेन्द्र शास्त्री
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
4/6/2009

विवरण प्राप्त विक्रयमूल्य 23,00,000/- रुपया
(शब्देन तेईस लाख रुपया मात्र)

रुपया 9,00,000/- जरिए पे-आर्डर संख्या 3400194 दिनांक 02.06.2009
 रुपया 9,00,000/- जरिए पे-आर्डर संख्या 3400195 दिनांक 02.06.2009
 रुपया 5,00,000/- जरिए पे-आर्डर संख्या 3400196 दिनांक 02.06.2009
 सभी जारी द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा
 शास्त्री नगर कानपुर।

रुपया 23,00,000/- कुल

प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य उपरोक्त विवरणानुसार प्राप्त कर लिया है। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में कोई धन प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से प्राप्त करना शेष नहीं है।

अतः पक्षगणों ने अपने अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, मस्तिष्क तथा इन्द्रियों की सही दशा में अपनी राजी खुशी से, बिना किसी जोर दबाव नाजायज कें, सुनकर व समझकर यह विक्रयपत्र समक्ष साक्षीगण निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

निशानात पंजा क्रमशः बायां व दायां विक्रेता श्री अरुण कुमार :-

1. अंगुष्ठा

1. अंगुष्ठा

2. तर्जनी

2. तर्जनी

3. मध्यमा

3. मध्यमा


4. अनामिका

4. अनामिका

5. कनिष्ठा

5. कनिष्ठा





विक्रेता

Registration No 1630

Year : 2009

Book No. 1

0101 अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय

स्व0राजाराम

सिंहपुर कछार कानपुर

यकालत



निशानात पंजा क्रमशः बायां व दायां क्रेता श्री सुशील कटियार :-

1. अंगुष्ठा

1. अंगुष्ठा

2. तर्जनी

2. तर्जनी

3. मध्यमा

3. मध्यमा

4. अनामिका

4. अनामिका

5. कनिष्ठा

5. कनिष्ठा

हस्ताक्षर गवाहान

1.

नाम ए.क. सिंघे
पुत्र ए.क. सुधाग सिंघे
निवासी सिंघे कदम
कानपुर नगर

2.

नाम रमकान्त शर्मा
पुत्र राजेश शर्मा
निवासी गंगापुर चववा वि. 2-रा. 15
कल्यानपुर ज्ञानपुर नगर

यह विलेख मेरे द्वारा निरूपित एवं
मेरे कार्यालय में टंकित किया गया।

Anil Kumar Soni
(अनिल कुमार सोनी) 03-06-09

एडवोकेट

कक्ष संख्या 66 द्वितीयतल,
शताब्दी अधिवक्ता भवन,
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर।

Anil Kumar Soni
Reg. No. 100091 Advocate
Ch. No. 66, Shatabdi Adhivakta Bhawan
11th Floor, Civil Court, Compound Kanpur

हस्ताक्षर विक्रेता / प्रथमपक्ष

(श्री अरुण कुमार उर्फ
अरुण कुमार पाण्डेय)

हस्ताक्षर क्रेता / द्वितीयपक्ष

Shushil Kumar
(श्री सुशील कटियार)

क्रेता

Registration No. 1630

Year : 2009

Book No. 1

0201 सुशील कटियार
रामकृष्ण कटियार
112/216 काकादेव कानपुर
व्यापार



जम्मा गजरी कृषि भूमि आराजी

नम्बर 360 वाकि मौजा सिंहपुर कछार

परगना व तहसील कानपुर सदर

जिला - कानपुर नगर



विकीत आराजी कृषि भूमि नम्बर - 360


360

विभाजित भाग जानिक पूरा हो.

0.45 हेक्टर का 1/2
= 0.225 हेक्टर

हस्ताक्षर
Shushil Kumar

कार्य कृषि भूमि



Shushil Kumar
हस्ताक्षर उता

Shy

आज दिनांक 04/06/2009 को
बही सं 1 जिल्द सं 4157
पृष्ठ सं. 201 से 242 पर क्रमांक 1630
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

M. S. Shastri
मानवेन्द्र शास्त्री

उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर ।

4/6/2009





BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सिंहपुर कछार परगना : (कानपुर सदर) तहसील : कानपुर सदर जनपद : कानपुर नगर फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00599

खतेदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल
(हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

सूचीलकटियार / रामकृष्ण कटियार / नि0112/216काकादेव कानपुर

370मि

0.4790

1427फ आदेश न्यायालय असि0कले090३0/उपजिल्ताधिकारी सदर कानपुर नगर वाद सं0 टी201903410115657 ता0के0 17/09/2019 के अनुसार तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक-09.09.2019 के आधार पर ग्राम सिंहपुर कछार तहसील सदर कानपुर नगर के खाता संख्या 599 की आरजी संख्या 370मि/0.4790हे0 जो श्री सूशील कटियार पुत्र रामकृष्ण कटियार निवासी 112/216 काकादेव कानपुर नगर के नाम दर्ज अभिलेख है, को 30प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भू-राजस्व की दृष्टि से की जा रही है यदि उक्त भूमि के0डी0ए0 द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो यह आदेश के0डी0ए0 के महायोजना के निहित प्रयोजन के अधीन होगा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। मानचित्र विधिवत पास कराये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी(प्राधिकरण/नगर निकाय/लोक निर्माण आदि) द्वारा मानचित्र पास किये बिना/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना यदि कोई निर्माण आदि किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी अपनी ओर से विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक: 09.09.2019 आदेश का अभिन आग होगी। परवाना क्र0 15137/07/11/2019

योग

1

0.4790

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त विवरण/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एचएम सी.एम.सी/लोकवाणी केन्द्र से चरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

